प्रा०पत्र   BB   27/2/25

प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
...2/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत अगली साविक कार्यवाही हेतु दिनांक 4/3/26 को पेश हो	
4/3/26	... हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज ... अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। ... मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अ... अगली साविक कार्यवाही हेतु दिनांक 6/3/26 को पेश हो	
6/3/26	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनु.। एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17/3/26 को पेश हो।	
17/3/26	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पेशकार सरकार उप.। प्रा.पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.मि. किया गया। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार तालेड़ा को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं0
309/प्रा0पत्र/2025 — तारीख दायरा 03.02.2025 — तारीख फैसला 17.03.2026

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी

प्रार्थी

बनाम

रामकिशन पुत्र नन्दलाल जाति गुर्जर निवासी तालेड़ा

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अभिभाषक प्रार्थी – पेरोकार सरकार
अभिभाषक अप्रार्थी–

:: निर्णय ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी तहसीलदार तालेड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम तालेड़ा पटवार मण्डल तालेड़ा तहसील तालेड़ा की आराजी खसरा संख्या 1084/119 रकबा 0.0243 हैक्टे0 किस्म नहरी 1 एवं ख0सं0 975/623 रकबा 0.0405 हेक्टे0 किस्म नहरी 1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0648 हैक्टे0 भूमि खातेदार रामकिशन पुत्र नन्दलाल जाति गुर्जर निवासी तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी के नाम भूमि राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का तालेड़ा अप्रार्थी द्वारा ग्राम तालेड़ा पटवार मण्डल तालेड़ा तहसील तालेड़ा की आराजी खसरा संख्या 1084/119 रकबा 0.0243 हैक्टे0 किस्म नहरी 1 एवं ख0सं0 975/623 रकबा 0.0405 हेक्टे0 किस्म नहरी 1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0648 हैक्टे0 भूमि जो कि कृषि भूमि है पर अकृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त भूमि कृषि भूमि है जबकि अप्रार्थी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये उक्त भूमि को अकृषि उपयोग (दुकाने) संचालित किया जा रहा है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के विरूद्ध हैं। उक्त भूमि का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के तथा बिना सम्परिवर्तन कराये कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का प्रकरण बनता है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य मे सम्भव नही है। राज्य सरकार की ओर से जर्ये तहसीलदार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण न्यायालय फीस से मुक्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि खातेदार काश्तकार द्वारा कार्य व शर्ते भंग करने के कारण ग्राम तालेड़ा पटवार मण्डल तालेड़ा तहसील तालेड़ा की आराजी खसरा संख्या 1084/119 रकबा 0.0243 हैक्टे0 किस्म नहरी 1 एवं ख0सं0 975/623 रकबा 0.0405 हैक्टे0 किस्म नहरी 1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0648 हैक्टे0 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावें तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमावे की कृपा करे ।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस पेरोकार सरकार एकपक्षीय सूनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अकृषि कार्य किया

जाकर कार्य व शर्ते भंग करने के कारण ग्राम तालेडा पटवार मण्डल तालेडा तहसील तालेडा की आराजी खसरा संख्या 1084/119 रकबा 0.0243 हैक्टे0 किस्म नहरी 1 एवं खसरा संख्या 975/623 रकबा 0.0405 हेक्टे0 किस्म नहरी 1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0648 हैक्टे0 भूमि सिवायचक सरकार घोषित किया जावें तथा बेदखली के आदेश जारी किये जाकर कब्जाराज लेने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस उभयपक्ष सूनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अप्रार्थी द्वारा वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 1084/119 रकबा 0.0243 हैक्टे0 किस्म नहरी 1 एवं खसरा संख्या 975/623 रकबा 0.0405 हेक्टे0 किस्म नहरी 1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0648 हैक्टे0 ग्राम तालेडा पटवार मण्डल तालेडा तहसील तालेडा पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के अकृषि कार्य कर खातेदार कृषक ने कृषि जोत पर अहितकर कार्य एवं शर्त भंग का दोषी होना माना गया है किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त कृषि जोत में कितने हिस्से पर किस प्रकार का अकृषि कार्य किया यथा उक्त अकृषि कार्य हेतु स्थायी रूप से निर्माण कर अकृषि कार्य किया गया अथवा अस्थायी निर्माण किया गया है। साथ ही उक्त निर्माण कितने भूभाग पर व किस प्रकृति का है के सम्बन्ध में नाप चोक व अन्य विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है ना ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने पर किन नियमो के तहत क्या कार्यवाही की गई का विवरण अथवा दस्तावेज संलग्न नही किये गये है, ना ही तहसीलदार तालेडा द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व भू-स्वामी की हैसियत से कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न किया गया है अपूर्ण कार्यवाही के मध्यनजर न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अन्तिम निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपूर्ण दस्तावेज एवं स्पष्ट रिपार्ट के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार स्वयं के स्तर की वांछनीय कार्यवाही की जाकर पूर्ण दस्तावेजो व स्पष्ट रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पुनः प्रार्थना पत्र पेश किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा